न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 29/2021

1 श्रीमती लक्ष्मी स्त्री फुलाराम जाति जाट निवासी हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनी देवी स्त्री सरदार सिंह।
2 सरदारा राम पुत्र दुलाराम।
3 रणजीतराम पुत्र दुलाराम।
4 भोपाल पुत्र दुलाराम।
5 शिम्भुराम पुत्र दुलाराम।
6 जगदीश पुत्र फुलाराम।
7 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरलाल।
8 महेन्द्र कुमार पुत्र हरलाल।
9 सुनिता पुत्री हरलाल।
10 सन्तोष स्त्री हरलाल।
11 विमलेश कुमार पुत्र हरलाल।
12 हरचन्द पुत्र फुलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुढ़ा गौड़जी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
14 आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड शाखा टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

15 स्टेट बैंक शाखा बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुढ़ गौड़जी जरिये जरिये शाखा प्रबन्धक।
16 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
17 उप पंजियक गुढ़ा गौड़जी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 19.04.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह मुकदमा उनवानी मोहनी बनाम रणजीतराम वगैरह मुकदमा नम्बर 306/2019 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

अपील संख्या 68/2021

1 हरचन्द पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनी देवी स्त्री सरदार सिंह।
2 सरदारा राम पुत्र दुलाराम।
3 रणजीतराम पुत्र दुलाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

4 भोपाल पुत्र दुलाराम।
5 शिम्भुराम पुत्र दुलाराम।
6 लक्ष्मी देवी पत्नी फुलाराम।
7 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरलाल।
8 महेन्द्र कुमार पुत्र हरलाल।
9 सुनिता पुत्री हरलाल।
10 सन्तोष स्त्री हरलाल।
11 विमलेश कुमार पुत्र हरलाल।
12 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुढ़ा गौड़जी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
13 आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड शाखा टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
14 स्टेट बैंक शाखा बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुढ़ गौड़जी जरिये जरिये शाखा प्रबन्धक।
15 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
16 उप पंजियक गुढ़ा गौड़जी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व अन्तिम
डिक्री दिनांकित 19.04.2021 बअदालत उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू पीठासीन अधिकारी
श्री राजेन्द्र सिंह मुकदमा उनवानी मोहनी बनाम रणजीतराम
वगैरह मुकदमा नम्बर 306/2019 दावा बाबत बंटवारा
एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

अपील संख्या 45/2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1 शिम्भूराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनी देवी स्त्री सरदार सिंह।
2 सरदारा राम पुत्र दुलाराम।
3 रणजीतराम पुत्र दुलाराम।
4 भोपाल पुत्र दुलाराम।
5 लक्ष्मी देवी पत्नी फुलाराम।
6 जगदीश पुत्र फुलाराम।
7 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरलाल।
8 महेन्द्र कुमार पुत्र हरलाल।
9 सुनिता पुत्री हरलाल।
10 सन्तोष स्त्री हरलाल।
11 विमलेश कुमार पुत्र हरलाल।
12 हरचन्द पुत्र फुलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुढ़ा गौड़जी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
14 आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड शाखा टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
15 स्टेट बैंक शाखा बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुढ़ गौड़जी जरिये जरिये शाखा प्रबन्धक।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

16 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
17 उप पंजियक गुढ़ा गौड़जी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 19.04.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह मुकदमा उनवानी मोहनी बनाम रणजीतराम वगैरह मुकदमा नम्बर 306/2019 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री बाबूलाल मील, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री विजयपाल , अधिवक्ता अपीलांट
4. श्री महेन्द्र कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 6-4-23

यह तीनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 306/2019 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। तीनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने

प्रबन्ध अधिकारी एव

से तीनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां तीनो पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 3.57 हैक्टर, ख.नं. 146 रकबा 1.04 हैक्टर, ख.नं. 204 रकबा 0.24 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम हुक्मपुरा तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने अदालत मातहत के समक्ष दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस वाद पत्र को अदालत मातहत ने दिनांक 16.12.2020 को प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिनांक 19.04.2021 को अन्तिम रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट लक्ष्मी, हरचन्द, शिम्भुराम की ओर से पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में दिनांक 16.12.2020 को कब्जेकाश्त एवं रिकार्ड के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार को नियुक्त किया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार नहीं कर आईएलआर द्वारा पक्षकारों को सूचित किये बिना तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के ही हस्ताक्षर है। वादी एवं स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आरबीजे 2017 पेज 299 में पारित आज्ञापक प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से रणजीत को सड़क के दोनों ओर किमती भूमि दी गई है। अपीलांट को सबसे पीछे भूमि दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद मोहिनी देवी व सरदाराराम की ओर से प्रस्तुत किया गया था। वाद में वादी ने स्वयं रणजीत की भूमि बाहमी विभाजन में सड़क पर होना अंकित किया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 16 उपस्थित रहे है परन्तु इनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4, 6, 15 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए है। विचारण न्यायालय द्वारा कब्जेकाश्त के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस प्राथमिक डिक्री को अपील में चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री को वादी ने चुनौती नहीं दी है। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद मोहिनी देवी व सरदाराराम की ओर से प्रस्तुत किया गया था। वाद में वादी ने स्वयं रणजीत की भूमि बाहमी विभाजन में सड़क पर होना अंकित किया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 16 उपस्थित रहे है परन्तु इनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4, 6, 15 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए है। विचारण न्यायालय द्वारा कब्जेकाश्त के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस प्राथमिक डिक्री को अपील में चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री को वादी ने चुनौती नहीं दी है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6-7-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर